e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0092515091** Payment Date: **27/07/2024 14:39:00**

Office Name:	**Jodhpur Tehsil Balesar Jodhpur**
Location:	BALESAR
Period:	01/07/1994-To-31/07/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	1500.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**1500.00**

One Thousand Five Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:			
Full Name: **Dharti Greens**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	Jodhpur(342013)
Address:Khasra No. 146/105, 148/105 Basni Bagela Jodhpur		Remarks:advocate Kripa Kumari Gurjar	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**SBIN9251509127072024**
Date:	27/07/2024 14:39:00	Refrence No:	**CK00CPIWJ3**

Computer generated copy on : ***27/07/2024*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.rajasthan.gov.in***

Kripa Kumari (Advocate/ Attorney)
106, B-Block, Vedang Height,
Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302033
Cont. No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

Date- 27.07.2024

Title Search Report

Sir,

As per photocopies of documents/papers made available to me, I have carefully examined the same.

As reveal from the documents the Khasra No. 146/105, 148/105 with total area dmeasuring 14698.18 square meter situated at Village- Basni Bagela, Jodhpur, (Rajasthan) is owned by DHARTI GREENS, Jodhpur.

Description of Land with respect to Khasra No. 146/105, 148/105 with total area admeasuring 14698.18 square meters situated at Village- Basni Bagela, Jodhpur, (Rajasthan):

1. Copy of Jamabandi has been examined and the fact was verified that the land having Khasra No.146/105 is mention by the name of Shri Dhana Ram, Shri Birma Ram and Shri Banshi Lal S/o Shri Sakta Ram R/o Jhalamand.

2. Copy of Jamabandi has been examined and the fact was verified that the land having Khasra No. 148/105 is mention by the name of Shri Badar Ram, Shri Jala Ram and Shri Jora Ram S/o Shri Shobha Ram R/o Jhalamand

3. Copy of 90-A order issued by Jodhpur Development Authority, Jodhpur in favour of Shri Dhana Ram, Shri Birma Ram, Shri Banshi Lal S/o Shri Sakta Ram and Shri Badar Ram, Shri Jala Ram and Shri Jora Ram S/o Shri Shobha Ram R/o Jhalamand vide letter no. LU2012/JOD/2023-24/101840 dated 12/07/2023.

4. Copy of layout issued by Jodhpur Development Authority, Jodhpur in favor Shri Dhana Ram, Shri Birma Ram, Shri Banshi Lal S/o Shri Sakta Ram and Shri Badar Ram, Shri Jala Ram and Shri Jora Ram S/o Shri Shobha Ram R/o Jhalamand on 29.08.2023 on its Agenda-5.

Adv. Kripa Kumari Gurjar
Advocate
R/172/2017

Kripa Kumari (Advocate/ Attorney)
106, B-Block, Vedang Height,
Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302033
Cont. No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

5. Thereafter, all the former landowners issued an affidavit of 05.09.2023 in which DHARTI GREENS had been nominated to get lease deed of plots.

Conclusion/Observation, if any

As per the photocopy/ zerox of the original documents submitted by the party and details mentioned therein, I am of opinion that DHARTI GREENS, Jodhpur the absolute owner of the land situated at Khasra No.146/105, 148/105, Village-Basni Bagela, Jodhpur, (Rajasthan) with total area admeasuring 14698.18 square meters and the said Land is clear, marketable and free from all encumbrance.

Adv. Kripa Kumari Gurjar
R/1172/2017
Kripa
Advocate

Adv. Kripa Kumari Gurjar

Final.

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)
(देखिये नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग हेतु)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बासनी बाघेला पटवार क्षेत्र गुड़ा वि० भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा वि० तहसील लूनी जिला जोधपुर राजस्थान सम्वत् 2077 से 2080

खेवट खतौनी सं.		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरुप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा		सम्वत.......... के लिए		सम्वत.......... के लिए		सम्वत.......... के लिए		टिप्पणियां
नई	पुरानी							दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35		राज० सरकार	धन्नाराम पुत्र सकताराम हि० 1/3 जाति-कुम्हार सा० झालामण्ड	146/105	2.4119	बारानी	—	—	3.71							
			बिरमाराम पुत्र सकताराम हि० 1/3 जाति-कुम्हार सा० झालामण्ड	1	2.4119	बारानी	-	-	3.71							
			बंशीराम पुत्र सकताराम हि० 1/3 जाति-कुम्हार सा० झालामण्ड खातेदारी				861		21.03.23							

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)
(देखिये नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग हेतु)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बासनी बाछेला **पटवार क्षेत्र** गुड़ा वि. **भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र** गुड़ा वि. **तहसील** लूणी **जिला** जोधपुर **राजस्थान सम्वत् 20**77 **से 20**80

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरुप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत____ के लिए: अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत____ के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत____ के लिए: अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत____ के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत____ के लिए: अंतरण का प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत____ के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
219	35	राज. सरकार	बादरराम पुत्र शोभाराम उर्फ शिवराम हि. 1/3	147/105	0.9307	B-III			1.43							
			जगाराम पुत्र शोभाराम उर्फ शिवराम हि. 1/3	148/105	1.4812	B-III			2.28							
			जोराराम पुत्र शोभाराम उर्फ शिवराम हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. आमानाड़ खातेदारान	2	2.4119	बिम्ना	—	-	3.71							

मातोनस क्र. 861 दि. 21.03.23
[signature]
भू. अभि. निरीक्षक

राजस्थान सरकार

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन–2)

क्रमांक : LU2012/JOD/2023-24/101840

दिनांक –12 / 07 / 2023

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

–: आदेश :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

श्री बादरराम, श्री जालाराम, श्री जोराराम पुत्रान् श्री शोभाराम उर्फ शिवलाल एवं श्री बंशीलाल, श्री बिरमाराम, श्री धनाराम पुत्रान श्री सकताराम जाति–कुम्हार सा. – झालामण्ड, जिला–जोधपुर। (आवेदक / खातेदार)

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

क्र. सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	राजस्व ग्राम बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर	श्री बादरराम, श्री जालाराम, श्री जोरारामपुत्रान् श्री शोभाराम एवं श्री बंशीलाल, श्री बिरमाराम, श्री धनाराम पुत्रान श्री सकताराम	146 / 105 148 / 105	01.11.08 बीघा 07.10.04 बीघा कुल रकबा 09.01.12 बीघा (14697.68 वर्गमीटर)
		कुल		1.46976 हैक्टेयर

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना / विकास योजना / स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षर के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **12 / 07 / 2023** को पारित किया गया।

12/07/23

प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन संख्या–2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Z 697866

नॉमिनी / समनुदेशिति (Assignee) के हक मे पटटा जारी करने हेतु मूल खातेदार / खातेदारों का आवेदन पत्र

(देखे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b), के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं Township policy 2010 अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28.06.2010 (Up to 10 Hectares) का बिन्दु संख्या 10 एवं 12) एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(178)नविवि / 3 / 2012 दिनांक 09.04.2013 प. 3(50)नविवि / 3 / 2012 पार्ट दिनांक 13.10.2014 एवं प.2(85)नविवि / उदयपुर / 2016 दिनांक 06.10.2017

क्रमांक : .... दिनांक : ....

नॉमिनी / समनुदेशिति (Assignee) का विवरण, (जिसके हक मे भूखण्ड आवंटन चाहा गया है) :–

क्र. सं.	नॉमिनी / समनुदेशिति (Assignee) का नाम व पता जिसके पक्ष में पटटा जारी किया जाना हैं	ले–आउट प्लान में स्वीकृत भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग. मे)	नॉमिनी / समनुदेशिति के हस्ताक्षर
1.	धरती ग्रीन्स जरिये भागीदार श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री बंशीलाल पुरोहित, पता – 11, हरी ओम नगर एक्सटेन्शन, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्दनवन, जोधपुर, राजस्थान–342008.	1 से 50	10541.75	Kamlesh Purohit

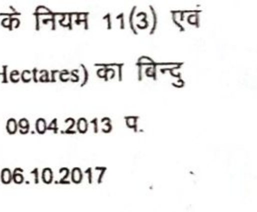

NOTARY, JODHPUR

NARENDER PARIHAR ADVOCATE JODHPUR (Rajasthan) Reg. No. 13839 Exp. Dt. 06/2/2024 GOVT. OF INDIA

28/9/2022

नाम मुद्रांक विक्रेता [illegible] अनुज्ञा पत्र संख्या 65/2011/जोधपुर/शहर

रजिस्टर क्रम संख्या 5222 दिनांक 22-7-24 [illegible] 500

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

प्रयोजन [illegible]

(हस्ते प्रस्तु की दशा में [illegible])

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

विक्रय स्थान–031, [illegible] रोड, सरदारपुरा, जोधपुर

राजस्थान राज्य [illegible], 1998 के अन्तर्गत [illegible]
1. [illegible] (धारा 3-[illegible])
2. [illegible] हेतु – [illegible]

भूमि का विवरण :–

राजस्व ग्राम	बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर
खसरा नम्बर	खसरा संख्या 146 / 105, कुल रकबा 2.4119 हैक्टेयर में से 01–11–08 बीघा एवं खसरा संख्या 148 / 105, कुल रकबा 1.4812 हैक्टेयर में से 07–10–04 बीघा, कुल आवेदित रकबा 09–01–12 बीघा
भूखण्ड संख्या	1 से 50
भूखण्ड का क्षेत्रफल	अनुमोदित प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल 10541.75 वर्गगज सम्पूर्ण योजना का क्षेत्रफल 17578.88 वर्गगज
भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ

NOTARY NARENDER PARIHAR ADVOCATE JODHPUR (Rajasthan) Reg. No. 13839 Exp. Dt. 06/2/2024 GOVT. OF INDIA

मूल खातेदारों का नाम मय पिता / पति का विवरण:–

खातेदार का नाम	आधार कार्ड नम्बर	पैन नम्बर	फोटों
धनाराम पि. सकताराम, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर			
बिरमाराम पि. सकताराम, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर		CMAPR 1772A	
बंशीलाल पि. सकताराम, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर		BQKPL 5942D	

बिरमाराम

LTI बंशीलाल

NOTARY, JODHPUR

बादरराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर		COYPR 4271L	
जालाराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर		BBVPR 4030G	
जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, जोधपुर		FJFPR 2194B	

NOTARY NARENDER PARIHAR ADVOCATE JODHPUR (Rajasthan) Reg. No. 13839 Exp. Dt. 06/2/2024 GOVT. OF INDIA

मूल खातेदारों के हस्ताक्षर एवं हाथ की उंगलियों/अंगुष्ठ की निशानी:–

धनाराम पि. सकताराम						धनाराम
बिरमाराम पि. सकताराम						बिरमाराम
बंशीलाल पि. सकताराम						

धनाराम

जालाराम

जोराराम

LTI बादरराम

बिरमाराम

LTI बंशीलाल

NOTARY, JODHPUR

बादरराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल						
जालाराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल						जालाराम
जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल						जोराराम

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28.06.2010 के बिन्दु संख्या 12 के तहत घोषित राजस्थान मे आवासीय परियोजनाओ/टाउनशिप विकसित करने मे मिजी निवेश की नीति, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम 2009 की धारा 49 की अनुपालना मे उपरोक्त भूखण्डों के पटटें समनुदेशिति (Assignee)/नॉमिनी के हित मे आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु निम्न शर्तो पर समनुदेशिति (Assignee)/नॉमिनी के हक मे जारी कर दिया जावे तो उक्त मूल खातेदारों को कोई आपत्ति नही होगी :-

1- यह है कि मूल खातेदार बादरराम, जालाराम, जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, बंशीलाल, बिरमाराम, धनाराम पि. सकताराम, जातियान् कुम्हार, निवासीगण - तेजानगर, झालामण्ड, जोधपुर की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बासनी बाघेला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 146/105 एवं 148/105 में अवस्थित है। यह है कि उक्त खसरों में से खसरा संख्या 146/105, कुल रकबा 2.4119 हैक्टेयर में से 01-11-08 बीघा एवं खसरा संख्या 148/105, कुल रकबा 1.4812 हैक्टेयर में से 07-10-04 बीघा, कुल आवेदित रकबा 09-01-12 बीघा भूमि के आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ नियमन/पट्टें हेतु आवेदन-पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या LU2012/JOD/2023-24/101840 है। उपरोक्त भूमि का ले-आउट प्लान दिनांक 29/08/2023 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक मे स्वीकृत हो चुका है एवं उपरोक्त भूमि का निर्णय भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के तहत दिनांक 12/07/2023 को होकर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है।

धनाराम

जालाराम

2- यह है कि उक्त वर्णित आराजियात की भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा अनुमोदित प्लान मे रोड नेटवर्क यथावत रखते हुए एवं भविष्य मे रोड विस्तारीकरण के समय कोई आपत्ति नही करने का परिवचन देते हुए भूखण्डो के अन्तरण इत्यादि करने का हम मूल खातेदारों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

जोराराम

LTI बंशीलाल बिरमाराम

LTI बादरराम

NOTARY NARENDER ... GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

3– हम मूल खातेदार शपथपूर्वक निवेदन करते हैं कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28.06.2010 को घोषित नीति के बिन्दु संख्या 12 एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) के तहत इस योजना के अनुमोदित प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का आवंटन एवं कब्जा हमारें द्वारा नामांकित उपरोक्त सारणी अनुसार नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) व्यक्ति के नाम से स्वेच्छा से एवं बिना दबाव कर चुके हैं एवं इस दौरान हमारें द्वारा समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया है।

4– हमारें द्वारा नामांकित व्यक्तियों के नाम उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार ही है। वर्तमान मे मौके पर सारणी अनुसार वर्णित विवरण अनुसार ही नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) का ही कब्जा है, अतः उक्तानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का उपरोक्त सारणी में वर्णित नाप अनुसार नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के नाम से जारी करने का कष्ट करें, जिसमे हमें एवं हमारें वारिसान को भविष्य मे कोई आपत्ति नंही होगी।

5– मैं उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार समस्त आवंटी नॉमिनी/ समनुदेशिती (Assignee) शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि उक्तानुसार वर्णित भूमि/भूखण्ड मूल खातेदारों द्वारा मेरी कम्पनी/फर्म को आवंटित एवं समनुदेश (Assignee) किये गये हैं। वर्तमान मे उक्त भूखण्डों पर हमारा ही कब्जा है। भूखण्ड पेटे समस्त प्रतिफल हमारे द्वारा मूल खातेदार को अदा कर दिया गया है। अब इसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा जो भी राशि नियमानुसार मांग की जायेगी, वह हमारे द्वारा जमा कराई जावेगी। अतः उक्त आवंटन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 12 एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A)(7) (b) के तहत हमारें पक्ष मे लीजडीड जारी करावें।

6– नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा राज्य सरकार/प्राधिकरण के संबंधित नियमों, उपनियमों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जावेगी।

7– आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राधिकरण की संबंधित शाखा से प्राप्त की जायेगी एवं मूल खातेदार का अब उक्त भूमि/भूखण्ड से कोई सरोकर नही होगा।

8– यह है कि उक्तानुसार सारणी में वर्णित भूखण्डों के पटटें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/आदेशों/परिपत्रों के तहत प्राधिकरण द्वारा नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक मे जारी किया जाता है तो हम मूल खातेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्तानुसार पट्टें जारी करने के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त जिम्मेदारी हम मूल खातेदार/नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) की रहेगी। हम मूल खातेदार/नामांकित समनुदेशिति द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन/नामाकंन/समनुदेशन स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि से बिना किसी दबाव के लिख दिया है जो सनद रहे एवं नियमानुसार उपयोग उपभोग मे आवें।

9– नॉमिनी/समनुदेशिती के नाम से पट्टें जारी करने से भविष्य मे कोई वाद/विवाद/न्यायालय वाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी। नॉमिनी/समनुदेशिती के नाम से नाम पट्टें जारी करने से पंजीयन शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी या किसी भी सरकारी विभाग की कोई कर/शुल्क देय

NOTARY GOVT. OF INDIA NARENDER PARIHAR ADVOCATE

NOTARY, JODHPUR

होता है या बकाया निकलता है तो उसके भुगतान की समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिये प्राधिकरण जिम्मेदारी नही होगा। यदि अंकेक्षण दल द्वारा कोई बकाया राशि निकाली जाती है तो उसके भुगतान हेतु हम बाध्य रहेंगें।

10— मूल खातेदार एवं उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) यह सत्यापित करते हैं कि इस प्रोविजन आवंटन पत्र/कब्जा पत्र मे वर्णित की गयी समस्त शर्तो को हमारें द्वारा पढ़, सुन व समझ लेने के पश्चात् यह आवंटन पत्र/कब्जा पत्र नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक मे जारी करने हेतु आवेदन किया है एवं उक्त कॉलम संख्या 1 से अन्त तक सभी कथन हमारें निजी ज्ञान मे सही होकर सत्य है।

हस्ताक्षर नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee)
उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार :–

Kamlesh Purohit

हस्ताक्षर मूल खातेदार :–

धानाराम

जालाराम

भोराराम

LTI बाबूराम

LTI वंशीलाल

प्रकाशाराम

NOTARY
NARENDER PARIHAR
ADVOCATE
JODHPUR (Rajasthan)
Reg. No. 13839
Exp. Dt. 06/2/2024
GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

हस्ताक्षर गवाह – 1 (आवंटी नामिनी/समनुदेशिती की ओर से)	हस्ताक्षर गवाह – 1 (मूल खातेदार की ओर से)
गवाह – 1 Nitin Mathur	गवाह – 1
नाम/पिता का नाम Nitin Mathur S/o. Naresh Chandra Mathur	नाम/पिता का नाम
पूर्ण पता Mahaveerpuram City, CHB, Jodhpur	पूर्ण पता
आधार नम्बर	आधार नम्बर
मोबाइल नम्बर 9314536777	मोबाइल नम्बर
हस्ताक्षर गवाह – 2 भवानीसिंह	हस्ताक्षर गवाह – 2
गवाह – 1	गवाह – 1
नाम/पिता का नाम Bhawani Singh S/o Ram Singh	नाम/पिता का नाम
पूर्ण पता Vill. Dhundhara Teh. Osian Jodhpur	पूर्ण पता
आधार नम्बर	आधार नम्बर
मोबाइल नम्बर 8696625586	मोबाइल नम्बर

IDENTIFIED BY

NOTARY NARENDER PARIHAR ... GOVT. OF INDIA

उक्त आवेदन पत्र को सत्यापित कर नोटेरी रजिस्टर में दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर नोटेरी ....

नोटोरी का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोहर

नोटेरी रजिस्टर का क्रंमाक .... दिनांक ....

Amit

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उक्त आवेदन पत्र आज दिनांक .... को उक्त मूल खातेदार/खातेदारों द्वारा प्राधिकरण व्यक्तिगत उपस्थित होकर नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक में पट्टा विलेख (लीजडीड) जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

LTI बाघाराम LTI बंशीलाल

स्थान – जोधपुर

दिनांक :

जोराराम

जालाराम

धनाराम

हस्ताक्षर

(नाम ....)

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

पिरमाराम

ENTERED IN NOTARY REGISTER AT SERIAL No...275... OF...2023

NARENDER PARIHAR
NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

Signature/T.I. of Shri धनाराम व अन्य

Identified by. अमित सोलंकी एडवोकेट

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BK 854709

- 5 SEP 2023

GOVT. OF INDIA

शपथ पत्र

हम बादरराम, जालाराम, जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, बंशीलाल, बिरमाराम, धनाराम पि. सकताराम, जातियान् कुम्हार, निवासीगण – झालामण्ड, जोधपुर, शपथपूर्वक बयान करते हैं कि :–

1. यह है कि हम शपथकर्ताओं की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बासनी बाघेला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 146 / 105 एवं 148 / 105 में अवस्थित है। यह है कि उक्त खसरों में से खसरा संख्या 146 / 105, कुल रकबा 2.4119 हैक्टेयर में से 01–11–08 बीघा एवं खसरा संख्या 148 / 105, कुल रकबा 1.4812 हैक्टेयर में से 07–10–04 बीघा, कुल आवेदित रकबा 09–01–12 बीघा भूमि के आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ नियमन / पट्टें हेतु आवेदन–पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या LU2012/JOD/2023-24/101840 है। उपरोक्त भूमि का ले–आउट प्लान दिनांक 29 / 08 / 2023 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक मे स्वीकृत हो चुका है एवं उपरोक्त भूमि का निर्णय भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत दिनांक 12 / 07 / 2023 को होकर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है।

धनाराम

जालाराम जोराराम LTI बादरराम बिरमाराम

LTI बंशीलाल

NOTARY, JODHPUR

25/9/2023

63/2011

5114 2310

...नाराम

...रराम

NOTARY
NARENDER PARIHAR
GOVT. OF INDIA

NOTARY
NARENDER PARIHAR
GOVT. OF INDIA

NOTARY
NARENDER PARIHAR
GOVT. OF INDIA

2. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (7) (बी) के साथ सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 11 (3) के अनुसार भूमि का आवंटन ऐसे व्यक्ति जिसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा 6 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, के खातेदार या उसके उतराधिकारी समनुदेशिती या अन्तरित के पक्ष मे किया जावेगा। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 10 एवं 12(1) के सामान्य प्रावधान के अनुसार प्रथम पट्टा खातेदार/डवलपर अथवा खातेदार/डवलपर के नॉमिनी को दिया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(178)नविवि/3/2012 दिनांक 09/04/2013 पार्ट दिनांक 13/10/2014 के अनुसार डवलपर खातेदार या उसके नॉमिनी के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों के तहत खसरा संख्या 146/105, कुल रकबा 2.4119 हैक्टेयर में से 01–11–08 बीघा एवं खसरा संख्या 148/105, कुल रकबा 1.4812 हैक्टेयर में से 07–10–04 बीघा, कुल आवेदित रकबा 09–01–12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में हम मूल खातेदार प्राधिकरण को उक्त भूमि समर्पण एवं ले–आउट स्वीकृति के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अनुसार व्यक्तियों नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के पक्ष में इस योजना के समस्त भूखण्डों के पटटें जारी करवाने हेतु समस्त अधिकार प्रदान करते है और प्राधिकरण निम्नलिखित नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के पक्ष पटटें जारी करें। नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) का विवरण निम्नानुसार है :–

NOTARY NARENDER GOVT. OF INDIA

क्र. सं.	नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) का नाम व पता जिसके पक्ष में पटटा जारी किया जाना हैं	ले–आउट प्लान में स्वीकृत भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग. मे)	नॉमिनी/ समनुदेशिति के हस्ताक्षर	नॉमिनी/ समनुदेशिति की फोटो
1.	धरती ग्रीन्स जरिये भागीदार श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री बंशीलाल पुरोहित, पता – 11, हरी ओम नगर एक्सटेन्शन, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्दनवन, जोधपुर, राजस्थान–342008.	1 से 50	10541.75	Kamlesh Purohit	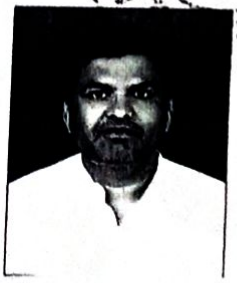

NOTARY NARENDER GOVT. OF INDIA

3. यह है कि उपरोक्त सूची अनुसार नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के नाम पट्टे जारी किये जाते है तो हम मूल खातेदार शपथकर्तागणों को कोई आपत्ति नही है और न ही भविष्य मे किसी भी प्रकार की आपत्ति, न्यायालय वाद आदि की कार्यवाही करेंगे। नामित व्यक्तियों के नाम पट्टे जारी करने हेतु यदि कोई सरकारी देयता भविष्य मे उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। समस्त उतरदायित्व हमारा होगा और प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार नही होगा।

4. यह है कि नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के नाम पट्टे जारी करने से किसी भी प्रकार की स्टाम्प, पंजीयन शुल्क/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के आयकर एवं शुल्क की चोरी नही हुई है इस संबंध कोई भविष्य मे किसी भी प्रकार का वाद–विवाद हुआ या पंजीयन शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी या

जेठाराम

जोगाराम

किरमाराम

LTI बाहरराम LTI बंशीलाल

NOTARY, JODHPUR

कर/शुल्क बकाया निकलता है तो उसको हम अदा करने के लिए बाध्य रहेंगे। यदि उक्त भूखण्डो के प्रति यदि अंकेक्षण दल द्वारा कोई राशि बकाया निकाली जाती है तो हम उसके भुगतान हेतु बाध्य रहेंगे एवं भुगतान करेंगे।

5. यह है कि उपरोक्त सूची अनुसार नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के नाम पट्टे जारी करने के संबंध मे भविष्य मे कोई वाद–विवाद हुआ तो उसकी समस्त जिम्मेवारी हम शपथकर्तागणों की होगी, प्राधिकरण जिम्मेवार नही रहेगा। नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने पर प्राधिकृत अधिकारी को पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा।

LTI बाबूराम धन्नाराम जालाराम जोराराम किशनाराम LTI बंशीलाल

शपथकर्ता

साख 1 :– हस्ताक्षर,
नाम :– Nitin Mathur s/o Naveed Chandra Mathur
पूर्ण पता :– Mahaveerpuram City, CHB, Jodhpur

साख 2 :– हस्ताक्षर, Amit
नाम :– Adv. Amit Lodha
पूर्ण पता :– R.H.C, Jodhpur

तस्दीक :–

हम उपरोक्त शपथकर्ता, शपथपूर्वक तस्दीक करते हैं कि उक्त शपथ पत्र में दर्ज तमाम वाक्यात हमारी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नही गया है। ईश्वर सत्य बोलने में हमारी मदद करें।

जालाराम जोराराम LTI बाबूराम LTI बंशीलाल धन्नाराम किशनाराम

स्थान :– जोधपुर

शपथकर्ता

उक्त शपथ पत्र को सत्यापित कर शपथ आयुक्त के रजिस्टर में दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर शपथ आयुक्त ....

शपथ आयुक्त का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोहर

शपथ आयुक्त रजिस्टर का क्रमाक .... दिनांक

ENTERED IN NOTARY
REGISTER AT SERIAL
No. 276 OF 2023
NARENDER PARIHAR
NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

IDENTIFIED BY

NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

NOTARY
NARENDER PARIHAR
JODHPUR
GOVT. OF INDIA

Signature/T.I. of Shri धन्नाराम कोटाद
Identified by. अमितजी लोढ़ा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Z 697867

NOTARY GOVT. OF INDIA

क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र

निम्नांकित वर्णित सारणी अनुसार नॉमिनी / समनुदेशिति, इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेते है, क्षतिपूर्ति करने का वचन देते है कि :–

क्र. सं.	नॉमिनी / समनुदेशिति (Assignee) का नाम व पता जिसके पक्ष में पटटा जारी किया जाना हैं	ले–आउट प्लान में स्वीकृत भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग. मे)	नॉमिनी / समनुदेशिति के हस्ताक्षर	नॉमिनी / समनुदेशिति की फोटो
1	धरती ग्रीन्स जरिये भागीदार श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री बंशीलाल पुरोहित, पता – 11, हरी ओम नगर एक्सटेन्शन, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्दनवन, जोधपुर, राजस्थान–342008.	1 से 50	10541.75	Kamlesh Purohit	

1. यह है कि मूल खातेदार बादरराम, जालाराम, जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, बंशीलाल, बिरमाराम, धनाराम पि. सकताराम, जातियान् कुम्हार, निवासीगण – तेजानगर, झालामण्ड, जोधपुर की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बासनी बाघेला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 146 / 105 एवं 148 / 105 में अवस्थित है। यह है कि उक्त खसरों में से खसरा संख्या 146 / 105, कुल रकबा 2.4119 हैक्टेयर में से 01–11–08 बीघा एवं खसरा संख्या 148 / 105, कुल

Kamlesh Purohit

NOTARY, JODHPUR

25/9/2023

रकबा 1.4812 हैक्टेयर में से 07–10–04 बीघा, कुल आवेदित रकबा 09–01–12 बीघा भूमि के आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ नियमन/पट्टें हेतु आवेदन–पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या LU2012/JOD/2023-24/101840 है। उपरोक्त भूमि का ले–आउट प्लान दिनांक 29/08/2023 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक मे स्वीकृत हो चुका है एवं उपरोक्त भूमि का निर्णय भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत दिनांक 12/07/2023 को होकर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है।

2. यह है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(7) (बी) के साथ सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 11 (3) के अनुसार भूमि का आवंटन ऐसे व्यक्ति जिसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा 6 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, के खातेदार या उसके उतराधिकारी समनुदेशिती या अन्तरित के पक्ष मे किया जावेगा। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 12(1) के सामान्य प्रावधान के अनुसार प्रथम पट्टा खातेदार/डवलपर अथवा खातेदार/डवलपर के नॉमिनी को दिया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(178)नविवि/3/2012 दिनांक 09.04.2013 पार्ट दिनांक 13.10.2014 के अनुसार डवलपर खातेदार या उसके नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के पक्ष मे पट्टा जारी किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों के तहत इस भूमि के मूल खातेदारों ने उक्त वर्णित भूमि के स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार समस्त भूखण्डों के पट्टें मेरी कम्पनी/फर्म के नाम से जारी करने हेतु हमें नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) नियुक्त किया है।

3. यह है कि प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष मे उपरोक्तानुसार सारणी अनुसार भूखण्डों के पट्टें जारी करने के कारण प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार को कोई शुल्क, कर, पंजीकरण राशि, फीस आदि की वित्तीय हानि उत्पन्न होती है या अंकेक्षण दल द्वारा बकाया राशि निकाली जाती है तो उक्त समस्त प्रकार हानि की क्षतिपूर्ति/कर/शुल्क आदि का भुगतान मैं/मेरी कम्पनी/फर्म करेंगी। मैं स्वयं को उक्त समस्त भुगतान हेतु पाबन्द करता हूँ।

4. उक्त योजना के अनुमोदन/ हमारे नाम उपरोक्त सारणी अनुसार वर्णित भूखण्डों के पट्टें जारी करने के कारण हुए किसी वाद/विवाद/न्यायालय वाद होता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा और प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही है।

5. यह है कि प्राधिकृत अधिकारी/पट्टा जारी करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि मुझ शपथकर्ता की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग होने/राज्य सरकार को वित्तिय हानि होने/विवाद होने पर वह जारी पट्टें को निरस्त कर सकेंगे। मैं उक्त भूखण्डों के प्रति एवं उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार हमारें नाम से पटटा जारी करने के कारण कारित किसी धनीय हानि के भुगतान के लिए स्वयं को पाबंद करता हूँ एवं ऐसी समस्त हानि/कर/शुल्क की क्षति की पूर्ति/भुगतान करने का वचन देता हूँ।

NOTARY ★ NARENDER PARIHAR ADVOCATE JODHPUR ★ GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

Kamlesh Purohit

शपथकर्ता

तस्दीक :—

मैं कमलेश पुरोहित पुत्र श्री बंशीलाल पुरोहित जरिये भागीदार धरती ग्रीन्स, पता – 11, हरी ओम नगर एक्सटेन्शन, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्दनवन, जोधपुर शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त क्षतिपूर्ति बंध पत्र में दर्ज तमाम वाक्यात मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

Kamlesh Purohit

शपथकर्ता

स्थान :— जोधपुर

दिनांक :

उक्त क्षतिपूर्ति बंध पत्र को सत्यापित कर नोटेरी पब्लिक के रजिस्टर में दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक ....

नोटेरी पब्लिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोहर......................

IDENTIFIED BY

नोटेरी पब्लिक रजिस्टर का क्रंमाक .... दिनांक ....

Amit

NOTARY
NARENDER PARIHAR
ADVOCATE
GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

ENTERED IN NOTARY REGISTER AT SERIAL No. 277 OF 2023
NARENDER PARIHAR
NOTARY, JODHPUR
25/9/2023

Signature/T.I. of Shri कमलेश पुरोहित
Identified by अमितव्यास

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY OM PRAKASH BISHNOI ADVOCATE JODHOUR (RAJ.) Reg.No. 13865 EXPIRY DATE 07/02/2029 GOVT. OF INDIA

राजस्थान RAJASTHAN U 697819

This Mortgage Deed in made on ....

रहननामा (Mortgage Deed)

रहन नामा लिख देते हैं हम धनाराम, बिरमाराम, बंशीलाल पि. सकताराम व बादरराम, जालाराम, जोराराम पि. शोभाराम उर्फ शिवलाल, जातिगण कुम्हार, निवासीगण – झालामण्ड, जोधपुर में रहने वाले इसमें इनके विधिक प्रतिनिधि प्रसासक, उत्तराधिकारी, निष्पादक एवं नॉमिनी/समनुदेशिति/Assignee भी शामिल है।

प्रथम पक्षकार (Mortgager)

बहक

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर,

द्वितीय पक्षकार (Mortgagee)

के हक मे तहरीर व तकमीर कर देते है कि :–

1. यह है कि हम खातेदारगण की कब्जासुदा, मालिकाना हक अधिकार की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 146/105 (नवीन खसरा संख्या 167/146) व 148/105 (नवीन खसरा संख्या 169/148), कुल रकबा 9–01–12 बीघा यानि 1.46796 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर में आई हुई है।

2. यह है कि उक्त भूमि को आवासीय में रूपान्तरित करवाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मे प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या LU2012/JOD/2023-24/101840 है। उपरोक्त खसरे का ले–आउट प्लान दिनांक 29/08/2023 को ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक मे स्वीकृत हो चुका है एवं उपरोक्त भूमि का निर्णय भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत दिनांक 12/07/2023 को होकर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है।

(बंशीलाल) धनाराम बिरमाराम (बादरराम) जालाराम जोराराम

NOTARY, JODHPUR 15/04/2024

Scanned with CamScanner

3. यह है कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने हैं। इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के तहत/अधीन विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है अन्यथा नियमानुसार शास्ति/पैनल्टी भुगतान को तैयार है। उक्त समयावधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखण्डों के विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत रहेगा।

4. यह है कि इस आवासीय योजना में आंतरिक विकास के एवज में रहन रखे जाने वाले भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्र (व.ग. में)
1.	1	388.65
2.	29	242.27
3.	30	409.95
4.	31	354.32
	कुल भूखण्ड 4	1395.20 वर्गगज

5. यह है कि यह आवासीय योजना 2 हैक्टेयर से तक की है। इसमें आंतरिक विकास पट्टें जारी होने की तिथि से टाउनशिप पॉलिसी अनुसार नियत समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि उक्त समयावधि में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा 10 प्रतिशत प्रचलित कनवर्जन चार्ज वसूल कर कार्य हेतु 2 वर्ष की सीमा बढ़ा दी जायेगी।

6. यह है कि उपरोक्त सारणी में वर्णित भूखण्डों को टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के रूप में हम प्रथम पक्षकार आप द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

यह है कि उक्त योजना में आंतरिक विकास का सम्पूर्ण कार्य एवं यू.एल.बी. के निर्धारित कार्य जैसे :– ओवर हेड टैंक/वाटर टैंक/पानी की टंकी, बरसाती नालियां, सीवरेज इत्यादि हम खातेदार/विकासकर्ता द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के तहत स्वयं के खर्चे पर पूर्ण किया जायेगा। प्राधिकरण से आंतरिक विकास से सम्बन्धित किसी भी कार्य की मांग नहीं की जावेगी।

यह है कि उक्त भूखण्डों को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है, आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण की रिपोर्ट के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् ही उक्तानुसार रहन रखे जाने वाले 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टें प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

NOTARY
OM PRAKASH BISHNOI
ADVOCATE
JODHOUR (RAJ.)
Reg.No. 13865
EXPIRY DATE
07/02/2023
GOVT. OF INDIA

लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के हक में राजीखुशी, अकल, होशियारी, बिना नशे पते एवं बिना किसी दबाव, पढ़कर, सुनकर, समझकर निष्पादित कर दिया है, जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
15/04/22

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BU 863791

DECLARATION

I, **Kamlesh Purohit** Son of Shri Banshi Lal Purohit, aged 51 years R/o Bansilal Purohit, 11 Hari Om Nagar Ext., Chopasani Housing Board, Jodhpur, Nandanwan, Rajasthan-342008, duly authorized by the promoter (Dharti Greens) of the proposed project **"DHARTI PARADISE"** situated at Khasra No. 146/105, 148/105 at Village-Basni Bagela, Jodhpur, (Rajasthan) do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. The project "DHARTI PARADISE" consists of total 50 plots, out of which 12.5% of the total saleable plots has been mortgaged by the Jodhpur Development Authority, Jodhpur against the internal development work of the project those plots are 1, 29, 30 and 31 admeasuring area 1166.56 sq. mtrs.

2. That the promoter "DHARTI GREENS" shall develop the common areas of the project i.e. the Internal development of the aforementioned project.

3. That if any contradiction arises in the future the promoter will be responsible for it.

ATTESTED
NOTARY
JAIPUR (RAJ.) INDIA

30 JUL 2024

Kamlesh Purohit

Deponent

क्रमांक 3486 दिनांक 30-7-24
मुद्रांक का मूल्य 100
क्रेता का नाम धरती गी...
पिता/पति का नाम
पता जोधपुर
वास्ते

कमलेश त्रिवेदी
ला. स्टाम्प विक्रेता 27/96
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3- क)- 10% रुपये 10
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3- ख)- 10% रुपये 20
कुल योग 30
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN
Madhu Raj Kumawat
Advocate
JAIPUR (INDIA)
Reg. No. 0904

VERIFICATION

I, **Kamlesh Purohit** Son of Shri Banshi Lal Purohit, aged 51 years R/o Bansilal Purohit, 11 Hari Om Nagar Ext., Chopasani Housing Board, Jodhpur, Nandanwan, Rajasthan-342008 do hereby verify the contents in para No. 1 to 3 of my above Affidavit cum Declaration are true & correct and nothing material has been concealed by me there from.

Kamlesh Purohit

Deponent

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN (INDIA)
Madhu Raj Kumawat
Advocate
JAIPUR (INDIA)
Reg. No. 0904

ATTESTED
NOTARY
JAIPUR (RAJ.) INDIA

30 JUL 2024